निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 122/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

निशान्त बुगालिया पुत्र श्री डॉ. जे. पी. बुगालिया जाति जाट, निवासी ई–35 इन्दिरा गांधी नगर, झुंझूनू

प्रार्थी

बनाम

1 श्री राजीव कुमार कुन्तल पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी मकान नम्बर 4/1 ओ.टी.एस. कैम्पस, जवाहर लाल, नेहरू मार्ग, जयपुर ।

अप्रार्थी

2 प्रकाश चन्द जैन पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह जैन छाजेड जाति जैन, निवासी लोहारगढ, सुजानगढ, जिला चुरू।

3 कैलाश चन्द मीणा पुत्र श्री फैलीराम मीणा निवासी ग्राम हरनिया, तहसील हिन्डोन सिटी, जिला सवाईमाधोपुर ।

4 मोनिता अरोडा पत्नी श्री संजीव आरोडा जाति पंजाबी निवासी मकान नम्बर 12/65, वेस्ट पंजाबी बाडा, नई दिल्ली ।

5 रघुवीर सिंह पुत्र श्री मनोहर सिंह जाति जाट निवासी 153, हांसी रोड, भिवाडी, हरियाणा ।

6 अलका मीणा पुत्री श्री मोहन लाल मीणा निवासी डी–5, अशोक नगर, पुरानी चुंगी, अजमेर रोड, जयपुर ।

7 प्रेम देवी पत्नी राजेश कुमार बैरवा जाति बैरवा निवासी सी–92 ए, बजाज नगर, जयपुर ।

8 कालू खान पुत्र श्री अब्दुल खान

9 अमीन खान पुत्र श्री हुसैन खान

10 जमील खान पुत्र श्री हुसैन खान

11 मुन्ना खान पुत्र श्री हुसैन

12 इस्लाम खान पुत्र श्री हुसैन खान

13 बाबू खान पुत्र श्री हुसैन खान

14 हनीफ खान पुत्र श्री हुसैन खान

15 उमराव बेगम पत्नी श्री हुसैन खान

16 फरीद खान पुत्र नासरू खान

17 फारूख खान पुत्र श्री नसरू खान

18 आरूफ खान पुत्र श्री नसरू खान

19 हारून खान पुत्र श्री नसरू खान

20 सिराज खान पुत्र नूर खान

21 बुन्दु खान पुत्र नूर खान

22 फूला पुत्री नूर खान

23 हाजरा पुत्री नूर खान

24 सिरदारा पुत्री नूर खान

समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम खो नागरियान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

25 किशन सैनी पुत्री श्री कालूराम सैनी जाति माली, निवासी ग्राम जैतपुरा,तहसील चौमू, जिला जयपुर ।

जिला कलक्टर
जयपुर

26 अनुप्रेरणा कुन्तल पत्नी श्री राजीव कुमार कुन्तल जाति जाट निवासी मकान नम्बर 4/1 ओ.टी.एस. कैम्पस, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर ।

27 तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर ।

प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर दक्षिण के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 31/2013 ब उनवानी राजीव कुमार कुन्तल बनाम प्रकाश चन्द जैन व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः—

1. श्री हेमचन्द बैरवा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री घनश्याम व्यास अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से ।

जिला कलक्टर जिला, जयपुर

निर्णय दिनांक 28.06.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर दक्षिण के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 31/2013 ब उनवानी राजीव कुमार कुन्तल बनाम प्रकाश चन्द जैन व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर दक्षिण से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।
3. अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री घनश्याम व्यास ने उपस्थित होकर अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की।
4. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
5. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण पूर्व में सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के यहां विचाराधीन था, परन्तु उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर दक्षिण के पीठासीन अधिकारी पूर्व में सांगानेर उपखण्ड अधिकारी जयपुर में कार्यरत थे, वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी दक्षिण में कार्यरत है। जिन से हमे न्याय की उम्मीद कम है क्योंकि पूर्व में भी यह प्रकरण इनके द्वारा सुना गया था जो निर्णित नही. हुआ है। उक्त प्रकरण जिस न्यायालय में चल रहा है उस न्यायालय में प्रार्थी को न्याय मिलने की उम्मीद कम होने के कारण उक्त प्रकरण को प्रार्थी अन्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर द्वितीय के यहां स्थानान्तरण करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा अपना कब्जा खसरा नम्बर 3410 में सावित करने के पश्चात भी पटवारी व तहसीलदार प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी प्रफोर्मा संख्या 28 अनुप्रेरणा कुन्तल व अप्रार्थी संख्या 7 प्रेम देवी द्वारा मिलीभगत कर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करवा कर उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण के समक्ष प्रस्तुत करवायी गई। अप्रार्थी संख्या 26 व 7 अप्रार्थी संख्या 1 का बाहर से सपोर्ट कर कर रही है उनमें अप्रार्थी संख्या 26 व 7 दोनों मिलीभगत से

जिला कलक्टर जयपुर

प्रकरण को प्रभावि कर रहे है तथा अपने पावर में होने का अनुचित लाभ न्यायालय से प्राप्त करने व न्याय को प्रभावित करने का कार्य कर रहे है। उक्त प्रकरण पूर्व में उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के यहां विचारण हेतु लम्बित रहा है। कुर्रेजात रिपोर्ट पर अप्रार्थी संख्या 1 राजीव कुमार कुन्तल व उसकी पत्नी अप्रार्थी संख्या 26 अनुप्ररेणा कुन्तल तथा अप्रार्थी संख्या 7 प्रेम देवी ने मिलीभगत कर उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करवा कर उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण के यहां प्रस्तुत की गई। जबकि उक्त खसरा नम्बर में प्रार्थी का कब्जा है तथा बाउण्ड्री बनी हुई है, उसका कोई हवाला नहीं दिया गया। उक्त उनवानी प्रकरण बहुत पुराना है जिसमें प्रार्थी व्यथित है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में बिना वजह परेशान किये जाने के कारण वर्तमान विचारण न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई नहीं करवाना चाहता है। प्रकरण को अन्य न्यायालय जो कि सांगानेर उपखण्ड अधिकारी उक्त प्रकरण को सुनने में सक्षम है, के यहां स्थानान्तरण करवाना चाहता है। अतः उक्त प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

6. अप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि उक्त प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय में स्थानान्तरित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

7. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

8. प्रार्थी ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। अप्रार्थी के अधिवक्ता भी प्रकरण का अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने पर सहमत है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

9. उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 31/2013 ब उनवानी राजीव कुमार कुन्तल बनाम प्रकाश चन्द जैन को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 18.07.2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय में उपस्थित हो।

10. उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

11. निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय एवं न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

12. निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/06/22

जिला कलक्टर
जयपुर